CNR No.– UPJP010078652022

न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर।

उपस्थित–अनिल कुमार यादव, प्रथम (एच०जे०एस०)

सिविल अपील सं०–97/2022

1–एस.के इन्जीनियरिंग वर्कसाप एफ 76 सतहरिया जरिये हर्षित सिंह, सतहरिया, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर।

2– हर्षित सिंह पुत्र स्व० संजय कुमार सिंह,

3–कुमुद सिंह पत्नी स्व० संजय कुमार सिंह,

साकिनान मौजा हाल मुकाम एफ 76 औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर। .....**अपीलार्थीगण।**

बनाम

1–प्रबन्धक सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीज उ०प्र० सरकार उपक्रम, जौनपुर।

2–राज्य उ०प्र० सरकार जरिये जिलाधिकारी जौनपुर सतहरिया विकास भवन, जौनपुर।

3–एस०डी०एम० मुख्य कार्यवाहक अधिकारी सतहरिया, जौनपुर

निवास तहसील मछलीशहर मुख्यालय, जौनपुर।

.....**विपक्षीगण।**

निर्णय

प्रश्नगत सिविल अपील अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) शहर, कोर्ट नं० 19, जौनपुर द्वारा मूलवाद सं० 622/2008 एस.के. इन्जीनियरिंग वर्कशाप बनाम प्रबन्धक सतहरिया औद्योगिक विकास में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 30.09.2019 के विरूद्ध योजित की गयी है।

वादपत्र का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादी न० 1 पंजीकृत फर्म है और वादी न० 2 पार्टनर है। एस. के इन्जीनियरिंग वर्कशाप एफ 76 के नाम से खराद मशीन लगाकर कूकर वर्कशॉप का काम संजय कुमार वादी नं0 2 प्रतिवादी स० 1 के उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित उपक्रम में करता रहा। विपक्षी सं० 1 व 2 द्वारा किये गये स्वीकृति एक एक्स अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार ने सूरज कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम से चल रही थी। जिसका रजिस्ट्रेशन 14.09.2000 को हुआ था। अमरनाथ की मृत्यु के बाद 02.03.2005 को रवीन्द्र कुमार ने संजय कुमार वादी सं0 2 को पार्टनरशिप तैयार करके एस. के. इन्जीनियरिंग के नाम से कारोबार करना प्रारम्भ किये है। रवीन्द्र कुमार जो कि सूरज इन्डस्ट्रीज के पार्टनर रहे उन्होंने सीडा प्लाट नं0 76 का आबटन 31.10.2000 को कराया और नये कागजात वादीगण द्वारा सीडा कार्यालय में जमा कर दिया गया। वादी न० 2 कागजात सी०डी० कार्यालय स्वीकृति हेतु लम्बित रहा मगर उनके कर्मचारीगण अवैध धन की माग बराबर करते रहे और वादी नं0 2 द्वारा जमा कागजात पर कोई स्वीकृत नहीं प्रदान किया, जबकि वादी न 0 2 अपने बाल–बच्चों के साथ एक 76 में स्थित भूखण्ड में स्थित कमरों में आबाद चला आया। दिनाक 25.09.2007 को एस०डी०एम० मुख्य कार्यवाहक अधिकारी अपने सभी कर्मचारी एवं थानाध्यक्ष की मदद से प्रार्थी के प्लान्ट में स्थित कमरा व बाउन्ड्रीबाल को बिला किसी नोटिस के दिये जबरदस्ती गिरवा दिया। वादी न० 2 सी०डा में स्थित प्लाट नं० एफ 18 में आबाद चला आ रहा है और प्रतिवादी न० 1 बिला हक वादी नं0 2 को बेदखल व आउस्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14.07.2007 सरकारी गजट में पार्टनरशिप वादी नं0 2 संजय सिंह के बीच प्रमाणित हो चुका है। सूरज कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज के

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.12 16:47:36 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur

नाम आवंटन जमीन हुई थी और उसमें पार्टनर अमरनाथ के पश्चात वादी से 2 उसका विधिक पार्टनर हो चुका है और उसकी हैसियत से यह आवंटित जमीन पर काबिज दखील है। वादी नं0 1 फर्म निबन्धक उ०प्र० कार्यालय में पंजीकरण किया गया है जिसका रजि० नं0 4816 वी 10268, दिनांकित 17.10.2007 है। पार्टनरशिप फर्म के डीड ऑफ पार्टनरशिप का निष्पादन भी हो चुका है। वादी को भूखण्ड स० एफ 76 के आवंटन हेतु माननीय आयुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा दिनांक 28.12.2007 के एजेण्डे के अनुसार भी हो चुकी है। बाद का कारण दिनांक 30.06.2008 को उस समय उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण के निर्माण को ध्वस्त करने और उसकी सभी मशीनरी व सामान उजाड़ कर फेंकने की धमकी दिया। प्रस्तुत मामले का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों में वादी ने याचना की है कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को हमेशा के लिए मना किया जाय कि वे एस०के० इन्जीनियरिंग वर्कशाप एफ 76 सतहरिया में स्थित निर्माण की किता विधिक प्रक्रिया के ध्वस्त न करें और न उसमें कब्जा करें न वादीगण को बेदखल करें तया जरिया डिक्री आदेशात्मक व्यादेश बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित करके प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाये कि वे भूखण्ड सं०–एफ 76 स्थित औद्योगिक विकास प्राधिकरण सतहरिया जिला जौनपुर के भूखण्ड एफ 76 मुन्दर्ज वादपत्र के बाबत लीज डीड का निष्पादन और पजीकरण वादी के पक्ष में अन्दर मियाद मुकर्रर अदालत कर देवें।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बयान तहरीरी कागज सं० 27क प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वादपत्र में किये गये कथनों से इंकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया है कि बयान वादीगण कि सूरज केमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम से सीडा द्वारा जमीन आवंटित थी और उसके पार्टनर अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार रहे अमरनाथ के फौत होने के बाद बादी नं0 2 उसका पार्टनर हो गया और वादी नं० 1 के नाम से कारोबार करना शुरू किया बिलकुल गलत व झूठ है। बयान वादीगण कि बादी न० 2 ने समस्त विधिक प्रक्रिया पूरी करके व पार्टनर बनने के बाद सीडा कार्यालय का कारोबार करने की समस्त सूचना दे दी गयी लेकिन वादी नं0 2 के कागजात पर सीडा कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी गलत व झूठ है। बयान वादीगण कि वादी नं0 2 विधिक रूप से पार्टनर है और उसी हैसियत से सूरज केमिकल्स के नाम से आवंटित जमीन पर काबिज है और वादी न० 1 के नाम से कारोबार कर रहा है। गलत व झूठ है। भूखण्ड स० एफ 76 का आवंटन दिनांक 31.10.2000 को सूरज केमिकल्स इन्डस्ट्रीज को किया गया जिसमें अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार मौर्य साझीदार रहे भूखण्ड पर 61394 रूपये बकाया हो गया जिसके कारण दिनाक 13.05.2003 को उन लोगों के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। एलाटमेण्ट की शर्तों के अनुसार मे० सूरज केमिकल्स के साझीदारों व सीडा के बीच एग्रीमेन्ट हुआ जिसकी शर्तों के अनुसार सूरज केमिकल्स अपना कारबार भवन आदि बनवा कर करते रहे। मेसर्स सूरज केमिकल्स इन्डस्ट्रीज के उपर सीडा का दिनांक 31.01.2009 तक 214474 रूपये बकाया हो गया है। अमरनाथ मौर्य की मृत्यु के कारण पार्टनरशिप समाप्त हो चुकी है। वादी नं0 2 बिना सीडा की अनुमति के फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। दिनाक 25.09.2007 को निरीक्षण के वक्त बादी न० 2 भूखण्ड स० एफ 76 पर अवैध रूप निर्माण करते पाये गये जिसको वादी नं0 2 स्वीकार किया। भूखण्ड सं० एफ 76 वा आवंटन सूरज केमिकल्स को लीज पर किया गया है और एग्रीमेन्ट हुआ है बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है तथा कुछ अन्य विधिक बिन्दुओं का उल्लेख कर प्रतिवादी ने वादी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की है।

वादी ने अपने जवाबुलजवाब कागज संख्या 29 क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी नं० 1 की पंजीकृत फर्म है और वादी न 0 2 उसका पार्टनर है। विपक्षी सं० 2 द्वारा स्वीकृति के द्वारा फर्म केमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम से चला रही थी और अमरनाथ मौर्य के फौत होने के बाद रवीन्द्र कुमार ने बादी स० 2 ने मिलकर एस०के० इन्जीनियरिंग के नाम से काम करते रहे। बयान प्रतिवादी खिलाफ इसके गलत है। बयान प्रतिवादी कि भूखण्ड सं0 76 का आवटन सूरज कंगिकल्स इन्डस्ट्रीज को किया गया सही है, परन्तु यह बयान प्रतिवादी कि दिनांक 13.05.2003 को वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया बिलकुल गलत है। रवीन्द्र कुमार सूरज इन्डस्ट्रीज के मालिक रहे और सीडा से प्लाट लेकर उत्पादन कार्य शुरू किया और अमरनाथ की मृत्यु के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी करके कार्यालय में जमा कर दिया गया और स्वीकृति के लिए बराबर सीडा के कर्मचारियों से वादीगण बराबर प्रयास करते रहे हैं, लेकिन वे अवैध धन की मांग करते रहे और वादीगण प्लाट नं0 76 पर काबिज दखली चले आ रहे हैं। प्रतिवादी दिनाक 25.09.2007 को भूखण्ड नं0 76 पर अवैध निर्माण करते पाये गये और प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने की कार्यवाही की गयी बिलकुल गलत व झूठ है। दिनांक 14.07.2007 को सरकारी गजट में वादीगण नं0 2 पार्टनर घोषित हो चुके हैं इसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण एस०के० इन्जीनियरिंग के नाम पर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती बाउन्ड्री को गिराना चाहते हैं। दावा वादी सही व जायज तरीके पर दाखिल की गयी है। ऐसे में वादी का वाद डिक्री होने योग्य है डिक्री किया जाये।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से मजीद बयान तहरीरी कागज सं० 33 क प्रस्तुत कर संशोधित वादपत्र को गलत व झूठ होने का कथन करते हुए अतिरिक्त रूप से यह कथित किया गाय है कि भूखण्ड सं० एफ 76 क्षेत्रफल 720.84 वर्ग मीटर का आवंटन दिनाक 31.10.2000 को मे सूरज केमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम हुआ । उसके साझीदार अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार रहे। इसके पार्टनर अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी है वादीगण के पक्ष में किसी प्रकार का आवंटन नहीं हुआ है। उक्त भूखण्ड सं० एफ 76 को आवंटन हेतु 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, परन्तु उसका पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया गया। उक्त भूखण्ड के सापेक्ष प्रिमियम ब्याज रख रखव शुल्क बज भूउपयोग शुल्क समयंवृद्धि शुल्क एवं जल शुल्क आदि मदों में दिनांक 30.06.2010 तक 247464 रूपये की धनराशि बकाया हो गयी थी। जिसके कारण आवंटी को नोटिस जारी की गयी, परन्तु उसका कोई उत्तर आवटी द्वारा नहीं दिया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि आवटी वकाया धनराशि जमा करने पट्टा का निष्पादन कराने एवं विवादित भूखण्ड पर इकाई लगाने में रूचि नहीं ले रहा है और न कोई कार्यवाही करना चाहता है तथा कुछ अन्य विधिक बिन्दुओं का उल्लेख कर प्रतिवादीगण ने वादी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2009 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या वादी एस०के० इन्जीनियरिंग वर्कशाप एफ–76 का मालिक काबिज है?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
3. क्या वाद धारा 38/41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
4. क्या वाद दफा 80 सी.पी.सी. से बाधित है ?
5. क्या वाद धारा 115 साक्ष्य अधिनियम से बाधित है ?
6. क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी प्राप्त नहीं है?

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू० 1 संजय कुमार सिंह को परीक्षित किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त साक्षी से जिरह की गयी है।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 10 ग से कागज संख्या 11 ग मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, कागज संख्या 12 ग हलफनामा रवीन्द्र कुमार, कागज संख्या 13 ग रजिस्ट्री रसीद, कागज सख्या 14 ग प्रार्थनापत्र, कागज सख्या 15 ग प्रार्थनापत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कागज सख्या 16 ग प्रमाण पत्र अध्यक्ष / आयुक्त सीडा, कागज संख्या 17 ग गजट उत्तर प्रदेश सरकार, कागज सख्या 18 ग प्रार्थनापत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सूची 22 ग से कागज संख्या 23 ग / 1 ता 23 ग / 7 छायाप्रति जनरल पावर आफ एटार्नी कागज संख्या 24 / 2 छायाप्रति नकल चलानी रिपोर्ट कागज संख्या 25 छायाप्रति अखबार गजट, कागज संख्या 26 ग छायाप्रति प्रमाण पत्र, सूची 42 ग से कागज संख्या 43 ग सीलिंग प्रमाण पत्र, कागज संख्या 44 ग विद्युत बिल, कागज संख्या 45 ग प्रार्थनापत्र अपर मुख्य कार्यपालक, कागज संख्या 46 ग प्रार्थनापत्र अपर मुख्य कार्यपालक कागज संख्या 47 ग शपथपत्र कागज सख्या 48 ग नो डयूज, कागज सख्या 49 ग शपथपत्र कागज सख्या 50 ग नो डयूज दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी डी० डब्लू 1 रविन्द्रनाथ यादव व डी०डब्लू० 2 श्वेताभ बी.आर.दास प्रबन्धक को परीक्षित किया गया है। वादी की ओर से उक्त साक्षियों से जिरह की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 36 ग से कागज संख्या 37 ग छायाप्रति आदेश जिलाधिकारी मुख्य कार्यपालक सीडा, कागज संख्या 38 ग छायाप्रति प्रार्थनापत्र, कागज संख्या 39 ग छायाप्रति प्रार्थनापत्र, कागज सख्या 40 ग/1 ता 40 ग/4 छायाप्रति एग्रीमेन्ट दाखिल किया गया है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं० 1 का निस्तारण वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से करते हुए पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 30.09.2019 के द्वारा वादीगण की ओर से संस्थित वाद निरस्त किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/वादी द्वारा यह सिविल अपील योजित की गयी है।

वादी/अपीलार्थीगण की तरफ से अपील में आधार लिए गये है कि प्रश्नगत आज्ञाप्ति व निर्णय विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित वाद बिन्दु न बनाने में गलती किया जिसके कारण गलत निष्कर्ष निकालने व गलत निर्णय पारित करने में गलती किया है। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व पक्षकारों के अभिवचनों व पूर्णतया अवलोकित न करने में गलती किया है, जिसके कारण गलत निष्कर्ष निकालने व गलत निर्णय पारित करने में गलती किया है। वादी के कागजात कार्यालय स्वीकृत हेतु सीड़ा में लम्बित है और उसे वादीगण के पक्ष में पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण की तरफ ध्यान नहीं दिया और गलत निष्कर्ष निकालने में गलती किया है। अधीनस्थ न्यायालय की वादी द्वारा पैसा जमा न करने की दशा में प्रतिवादी द्वारा वादी को नोटिस दिया गया था और तथाकथित दिनांक 14.10.2010 को भूखण्ड संख्या एफ 76 का आंवटन रिस्त कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये साक्षियों की जरिह का अवसर वादी को नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय महत प्रतिवादीगण के कथनों पर गलत तौर पर विश्वास करके गलत निष्कर्ष निकालने में गलती किया है। वादी को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया जिसके कारण गलत निष्कर्ष निकालने में गलती किया है। अतः प्रश्नगत निर्णय निरस्त कर के अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं आलोच्च निर्णयादेश का सम्यक् अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की ओर से किए गए अभिकथनों/अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत अपील के निर्णय हेतु निम्न अवधारित बिन्दु विरचित किए जाते है–

1–क्या वादीगण वादपत्र में किये गये कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण से विवादित भूखण्ड एफ–76 का पट्टा अभिलेख निष्पादित/पंजीकृत करा पाने का अधिकारी है ?

<u>निस्तारण अवधारित बिन्दु सं० 01–</u> अवधारित बिन्दु संख्या 01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वादपत्र में किये गये कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण से विवादित भूखण्ड एफ–76 का पट्टा अभिलेख निष्पादित/पंजीकृत करा पाने का अधिकारी हैयह अवधारित बिन्दु वादी द्वारा वादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः इसे साबित करने का भार वादी पर है।

इस सम्बन्ध में वादी का कथन है कि वादी न० 1 पंजीकृत फर्म है और वादी न० 2 पार्टनर है। एस. के इन्जीनियरिंग वर्कशाप एफ 76 के नाम से खराद मशीन लगाकर कूकर वर्कशॉप का काम संजय कुमार वादी नं0 2 प्रतिवादी स० 1 के उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित उपक्रम में करता रहा। विपक्षी सं० 1 व 2 द्वारा किये गये स्वीकृति एक एक्स अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार ने सूरज कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम से चल रही थी। जिसका रजिस्ट्रेशन 14.09.2000 को हुआ था। अमरनाथ की मृत्यु के बाद 02.03.2005 को रवीन्द्र कुमार ने संजय कुमार वादी सं0 2 को पार्टनरशिप तैयार करके एस. के. इन्जीनियरिंग के नाम से कारोबार करना प्रारम्भ किये है। रवीन्द्र कुमार जो कि सूरज इन्डस्ट्रीज के पार्टनर रहे उन्होंने सीडा प्लाट नं0 76 का आवंटन 31.10.2000 को कराया और नये कागजात वादीगण द्वारा सीडा कार्यालय में जमा कर दिया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी नं0 2 द्वारा जमा कागजात पर कोई स्वीकृति नहीं प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14.07.2007 सरकारी गजट में पार्टनरशिप वादी नं0 2 संजय सिंह के बीच प्रमाणित हो चुका है। सूरज कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम जमीन आवंटित हुई थी और उसमें पार्टनर अमरनाथ के पश्चात वादी सं० 2 उसका विधिक पार्टनर हो चुका है और उसकी हैसियत से आवंटित जमीन पर काबिज दाखिल है। वादी नं0 1 फर्म निबन्धक उ०प्र० कार्यालय में पंजीकरण किया गया है जिसका रजि० नं0 4816 वी 10268, दिनांकित 17.10.2007 है। रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र कागज संख्या 11 ग मूल पत्रावली में दाखिल है। पार्टनरशिप फर्म के डीड ऑफ पार्टनरशिप का निष्पादन भी हो चुका है। वाद का कारण दिनांक 30.06.2008 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण वादीगण के निर्माण को ध्वस्त करने की धमकी दिया।

वादी द्वारा किये गये कथनों के जवाब में प्रतिवादी की ओर से जवाबदेही कागज संख्या 27 क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि बयान वादीगण कि सूरज केमिकल्स इन्डस्ट्रीज के नाम से सीडा द्वारा जमीन आवंटित थी और उसके पार्टनर अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार रहे अमरनाथ के फौत होने के बाद बादी नं0 2 उसका पार्टनर हो गया और वादी नं० 1 के नाम से कारोबार करना शुरू किया बिलकुल गलत व झूठ है। बयान वादीगण कि वादी नं0 2 विधिक रूप से पार्टनर है और उसी हैसियत से सूरज केमिकल्स के नाम से आवंटित जमीन पर काबिज है और वादी न० 1 के नाम से कारोबार कर रहा है, गलत व झूठ है। भूखण्ड स० एफ 76 का आवंटन दिनांक 31.10.2000 को सूरज केमिकल्स इन्डस्ट्रीज को किया गया जिसमें अमरनाथ व रवीन्द्र कुमार मौर्य साझीदार रहे भूखण्ड पर 61394 रूपये बकाया हो गया जिसके कारण दिनाक 13.05.2003 को उन लोगों के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। अमरनाथ मौर्य की मृत्यु के कारण पार्टनरशिप समाप्त हो चुकी है। वादी नं0 2 बिना सीडा की अनुमति के फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है।

वादी द्वारा वादपत्र में किये गये कथनों तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भूखण्ड संख्या एफ–76 का आवंटन दिनांक 30.10.2000 को मेसर्स सूरज कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज के नाम किया गया। जिसके भागीदार अमरनाथ मौर्य और रवीन्द्र कुमार मौर्य रहे। अमरनाथ मौर्य की मृत्यु हो जाने के बाद दिनांक 02.03.2005 को फर्म के पार्टनर रवीन्द्र कुमार ने वादी संख्या 2 संजय कुमार के साथ भागीदारी तैयार कर एस.के.इंजीनियरिंग के नाम से कारोबार प्रारम्भ किया। उनकी ओर से दिनांक 30.10.2006 को तैयार पार्टनरशिप डीड कानूनी मान्यता हेतु सीडा कार्यालय में प्रस्तुत की गयी जिसे सीडा द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात् वादीगण की ओर से पुनः प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर मामले का नियमानुसार निस्तारण किये जाने की याचना की गयी। मामले का सम्यक् निस्तारण न होने पर संजय कुमार सिंह मैसर्स एस.के. इंजीनियरिंग वर्कशॉप की ओर से दिनांक 25.11.2018 को एक प्रत्यावेदन मामले के निस्तारण हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ को दिया गया। सभी पक्षों को सुनने एवं सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त **विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग** के द्वारा **दिनांक 08.08.2019** को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, जौनपुर को निर्देशित किया गया कि भू–खण्ड संख्या एफ–76 श्री संजय कुमार सिंह को बिना विलम्ब शुल्क हस्तांतरित किया जाये एवं दिनांक 28.12.2007 के अवधि तक जो भी बकाया धनराशि भूखण्ड संख्या एफ–76 पर देय हो, उसे जमा करा कर श्री संजय सिंह के पक्ष में उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। आदेश की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 30ग अपील की पत्रावली में दाखिल है। विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में मेसर्स एस.के. इंजीनियरिंग की ओर से एक प्रार्थनापत्र **दिनांक 19.09.2019** को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत कर प्लाट के नामान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थनापत्र की पावती अपीलार्थी की ओर से अपील की पत्रावली में दाखिल की गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, जौनपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र पर कोई विधिसंगत कार्यवाही नहीं की गयी और न ही विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के आदेश दिनांकित 08.08.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, जो उच्चाधिकारी के आदेश का सरासर उल्लंघन है।

दिनांक 25.09.2019 को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 622/2008 के मामले में उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित की गयी और **दिनांक 30.09.2019** को यह निष्कर्ष निकालते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया कि वादी द्वारा बकाया धनराशि 2,47,464 /–रूपये न जमा किये जाने के कारण भूखण्ड संख्या एफ–76 का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और वादी के पक्ष में पट्टा अभिलेख निष्पादित नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों की ओर से विशेष सचिव द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2019 की नकल पत्रावली में दाखिल नहीं की गयी जिससे विद्वान अवर को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, जौनपुर के द्वारा वादीगण के प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.09.2019 पर विधिनुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण आक्षेपित आदेश पारित हुआ। जिसका सम्पूर्ण दायित्व प्रतिवादीगण पर है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.09.2019 के पश्चात् अपने दायित्व से बचने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, जौनपुर के द्वारा **दिनांक 21.11.2019** को उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग 4 लखनऊ को पत्र

प्रेषित कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2009 के आलोक में पूर्व पारित आदेश 08.08.2019 पर पुनर्विचार कर अग्रिम दिशानिर्देश देने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनकी ओर से विशेष सचिव द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2019 का अनुपालन उचित समय के अन्दर क्यों नहीं किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादीगण/अपीलार्थीगण याचित अनुतोष पाने के अधिकारी है। तद्नुसार अवधारित बिन्दु संख्या 01 वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

तद्नुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित सिविल अपील 97/2022 एस.के. इन्जीनियरिंग वर्कशॉप आदि बनाम प्रबन्धक सतहरिया औद्योगिक विकास आदि स्वीकार की जाती है। वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित मूलवाद संख्या 622/2008 एस.के. इन्जीनियरिंग वर्कशॉप आदि बनाम प्रबन्धक सतहरिया औद्योगिक विकास आदि सव्यय अज्ञाप्त किया जाता है। तद्नुसार प्रतिवादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदा के लिए मना किया जाता है कि वे भूखण्ड निजाई संख्या एफ–76 पर वादीगण के कब्जा दखल/व्यवसाय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

जरिये आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि विशेष सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ के आदेश दिनांकित 08.08.2019 के अनुपालन में वह भूखण्ड एफ–76 पर दिनांक 28.12.2007 की अवधि तक की बकाया धनराशि (बिना विलम्ब शुल्क के) वादीगण से प्राप्त कर भूखण्ड संख्या एफ–76 जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है, के बाबत पट्टा अभिलेख का निस्पादन/पंजीकरण दो माह के अन्दर वादी के पक्ष में कर देंवे।

मूलवाद सं० 622/2008 एस.के. इन्जीनियरिंग वर्कशॉप आदि बनाम प्रबन्धक सतहरिया औद्योगिक विकास आदि में विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) शहर, कोर्ट नं० 19, जौनपुर द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 30.09.2019 निरस्त किया जाता है।

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112

<u>दिनांक</u> 12.03.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112

<u>दिनांक</u> 12.03.2026